Title: Further discussion on the Special Protection Group (Amendment) Bill, 1999. Moved by Shri L.K. Advani on the 8th December, 1999. Bill Passed.

14.52 hrs

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Chairman, Sir, yesterday, when I was required to terminate my remarks, I had drawn attention to the provisions relating to advance security liaison which constitute the heart of the very different kind of security which the SPG provides. I had just ended describing the nature of this advance security liaison when I was required to terminate my remarks. Therefore, I would like to resume my speech at that point.

The hon. Minister of Home Affairs would recall that yesterday I had drawn particular attention to the speech made by the Minister moving the Bill on the 10th of May, 1988 and his reply on the 11th of May, 1988. I would take the liberty of specifically drawing the attention of the hon. Minister to two important statements made by the Minister on those two days. Each of those is not more than a sentence. So, I seek the indulgence of the House to quote what Shri P. Chidambaram said on the 10th of May. You will find it in column 450 of the record of the proceedings of the House. He said:

"in discharge of its duties and responsibilities the Group (that is, the SPG) carries out advance security liaison at places to be visited by the Prime Minister and for this purpose it is equipped with a Technical Wing having a wide-range of technical equipment and gadgets."

This is what distinguishes the SPG from other forms of security that are provided. He went on to say the following day that it was important to pay attention to clause 14 of what was then the SPG Bill and is now the SPG Act, which provides:

"Every Indian Mission, every local or other authority, every civil or military authority, to go in aid of the Director of the Group"

In other words, every single authority, where the Prime Minister is scheduled to visit, whether it is in India or abroad, is required to give priority attention to these security requirements.

This is not available for any other form of security in the country. It is unique to the SPG form of security. Then again, after he ceased to be the Minister in charge, when he was not in the Government, Shri P.Chidambaram, intervening in a debate on a motion under Rule 193 which I had, in fact, moved, said something which I think bears repetition in this House once again. This was on the 13th May 1993, reported in columns 418 to 419 where Shri Chidambaram said:

"Sir, there was no officer, no police officer in the whole of India who was feared more for the authority he wielded than an officer whom we designated as AD (Functions)... he had the authority to overrule anyone in India, including the Chief Minister of a State."

That is the kind of authority that is vested in the SPG to undertake the security work of a Prime Minister. That kind of security cannot be assured by anybody except the SPG. That is really the point which I am repeatedly underlining particularly because of my apprehension that the remarks which the Home Minister made with respect to other forms of security while talking about the SPG might - by mistake, and I certainly know that it is not his intention - be taken to apply to this particular form of security.

The same point was reiterated by Shri P.Chidambaram in his deposition before the Jain Commission which took place on the 6th November 1996 where at page 5 of his deposition, Shri Chidambaram repeated that they, that is, the SPG, had overriding powers to overrule other security agencies. This too is not available to other. So, in all these terms - in terms of the kind of selection that is made so rigorously, in terms of the special training that is provided to them, in terms of the technical equipment and gadgets made available to them, in terms of the power vested in them to make arrangements for advance security liaison and in terms of the power given to them to override not only any local official or police official, however senior that police official might be for other purposes, but going so far as to be able to override a Chief Minister in determining what is the security requirement at a particular place to be visited - the SPG was endowed with the power to overrule any other security agencies that might have a different view about how security is to be handled.

It was this new concept that was brought into security for the Prime Minister and his immediate family when the SPG was first formed in 1985 and subsequently given Statutory status in 1988. Unfortunately one of the most important requisites in this regard was ignored in 1988, which is what happens when a Prime Minister who has SPG cover ceases to be the Prime Minister. It is a matter of regret that it was neglected at that time because if not in this House, but certainly in the other House, that is, the Rajya Sabha, the then TDP Member, Shri P. Upendra, who is now with us in the Congress Party, had specifically asked a question in this regard and it was not answered. So, when he went before the Jain Commission in 1996, in his deposition before the Jain Commission on the 21st November 1996, at page 1 of the record, Shri P.Chidambaram stated:

"I did not undertake any exercise to anticipate a situation when Rajiv Gandhi may lose elections and demit the Office."

In consequence of this negligence on our part in not anticipating a situation where the Prime Minister would cease to be the Prime Minister and making adequate provision for that, while the Prime Minister was still in office, we entered a situation, effective early December 1989, when Rajiv Gandhi ceased to be the Prime Minister of India, but the threat that he faced did not cease and which, in fact, according to the Verma Commission, increased.

15.00 hrs.

In that situation the now Prime Minister took a decision to temporarily continue SPG cover for the former Prime Minister even though this was not mandated under the law and could be construed as contravention of the law. In doing this, certain adjustments had to be made. And in particular, I would draw the attention of the hon. Home Minister to the note prepared by the Cabinet Secretary at that time, Shri T.N. Seshan, on the 14th December, 1989 for the use of the Prime Minister"s Office which is part of the records of the Jain

Commission. If I marry these two sentences together, one of which is in para 7 (v) of the note and the other in 9 (v) of the note, it reads like this:

"For domestic tours of the Prime Minister, officers of the SPG and IB conduct joint advance security liaison along with officers of the State Police to go into and finalise security arrangements... Therefore, for the time being, officers of the IB and SPG will carry out advance security liaison."

Tragically, as it turned out to be, the alternative security arrangement that was put in place for this ex-Prime Minister at the beginning of February, 1990 on the withdrawal of SPG made no provision whatsoever for advance security liaison. Yet, without advance security liaison, the kind of security for the ex-Prime Minister on tour which was necessary for him to meet not just the previous threat perception but the enhanced threat perception was so poor that the inevitable happened. And because the inevitable happened, Mr. Chairman, I would seek your indulgence to quote myself. I said here in this House on the 13th of May, 1993:-

"The Sriperumbudur incident would never, never have happened had the SPG been detailed for Rajivji''s security on the 21st May, 1991. Advance liaison by the SPG would never, never, never have permitted inadequate barricading, inadequate lighting, crowding at or near the rostrum, the collapse of access control which have been listed in the Verma Commission of Inquiry Report as among the contributory causes to the assassination."

I have to repeat this again here today. I am deeply grateful to the hon. Home Minister for recognizing the special quality of SPG security as against any other form of security. He has brought this amendment which will have the effect of continuing SPG cover for ex-Prime Ministers and their families for as long as it is required. The great difference between the amended SPG Act of 1991 and this is that the provision of SPG security was made ex-officio at that time. Merely by virtue of having been the Prime Minister or a member of the Prime Minister''s family, SPG cover was automatically, blindly and mechanistically extended. Now, there are two provisos to sub-section (1) of the Act it would be introduced in section (4) of the Principal Act, which say that in deciding whether or not to extend such SPG cover on at least on a yearly basis, for no more than twelve months can lapse between two threat perception assessments, the agencies concerned will weigh the nature of the threat and determine whether SPG protection should or should not continue.

In other words, the Government through this legislation is casting upon itself a statutory duty to examine with all seriousness whether there is or is not a threat perception that warrants the provision of such security cover. Had such a provision existed in the original 1988 Act, perhaps we would not have got that disastrous decision of January-February, 1990 which led to the tragedy at Sriperambadur. It is certainly not a tregedy which we would wish to see repeated ever again, for nothing destablises a democracy as badly as does the politics of murder. We have to preserve ourselves even if we do not wish to preserve our differences. Democracy rests on the assumption that those who are elected to positions of high office will be able to take those ... (Interruptions) I am sorry, Sir. I plead with you to give me a few more minutes.

MR. CHAIRMAN : Only one hour was allotted to this item. There are a number of speakers.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : I will just take a few minutes more, Sir. You will appreciate that I do need a few minutes more. We are talking about the lives of important people.

These two provisos, however, apply only to Section 1. I am not sure why they do not apply to Section 1(A) as well. In my view, it is not necessary to oppose the Bill on this ground at this stage. In my view the provisos of Section 1 should be brought in pari passu in Section 1(A) as well. Indeed, because the Home Minister has raised in his presentation other forms of security, I would plead with him that these provisions be taken into the general statutory provisions relating to the provision of security. For, at the moment, the decision to perform any kind of security duty is a purely executive decision which has to be taken by a political authority who is necessarily subject to political pressures of the kind to which the hon. Home Minister drew our attention yesterday. As a result of these unwarranted political pressures, the number of people enjoying security in different categories has gone completely out of hand and it is being looked upon not only as a status symbol but also as a way of garnering personal comforts such as a place of residence. If, however, there were a statutory requirement applying to all forms of security which are going to be used for this special type of security then the decision as to whether or not security is at all to be provided, and if so, what category, would be taken out of the strictly executive, and, therefore, political realm and brought into a larger technical realm, because one can assume that the intelligence agencies and security agencies responsible for making such a threat perception would then in their assessment give the reasons for which they have arrived at their conclusions. Therefore, it would greatly ease the problems of the Home Minister if he were to put all forms of security into the kinds of provisions that have been provided for in the provisos to Section 1 of the Bill before us just now.

I would just go one step further and with that I conclude my remarks. We have in the National Security Advisory Board, experts on the question of national security who are advising the Government without being either civil servants or politicians. They are there because their expertise outlives their retirement. So, we have a number of former Foreign Secretaries, former RAW Chiefs, former Defence personnel who are serving the Government in advisory and, honorary capacities in the National Security Board. If in a similar way, people like Shri M.K. Narayanan, the former IB Chief, were to be inducted into the processes that make these threat perceptions, perhaps the degree of expertise would go higher and such persons being ex-civil servants would not be subject in quite the same way as civil servants, however, good they are, to political pressures.

This would perhaps make the whole process even more transparent. Since it is the Home Minister''s own Government that has taken the initiative in bringing former Government experts in as independent experts subsequent to their retirement in the national security field, perhaps he could consider doing this too for assessing threat perceptions.

I have taken Shri M.K. Narayanan''s name deliberately because while everything else that the Home Minister said yesterday was a cause of some comfort and even rejoicing, his reference to the NSG was, I submit, most unfortunate at the present juncture. It is absolutely true that the NSG was formed for meeting terrorist threats in terrorist affected areas and that their use for personal security does diminish the totality of the force to fight terrorism that is required in terrorist-infested areas. But when he singles out the NSG, we have -- as we heard in the reaction from the AIADMK -a specific example of a former Chief Minister who is under intense threat and

will be under increasing threat if the LTTE continues its military victories in Sri Lanka. Now if you want to withdraw NSG cover from her on the noble principle that NSG is supposed to be for terrorist infested areas and not for personal security, then you will have to devise an equivalent personal security force before you take that decision.

I say this with deep sadness in my heart because the Verma Commission reports says that on the 20th of May, 24 hours before Rajiv Gandhi was assassinated, Shri M.K. Narayanan who had been reinstated as the Director of the Intelligence Bureau, was making "frantie" efforts to somehow contact the Government of the time to tell them that the threat to Rajiv Gandhi had reached such enormous proportions that we must supply NSG cover for Rajiv Gandhi, adding "even if he refuses to have such cover". There are political situations that can be created and they were created, by those who largely constitute the NDA today, who so trivialised and so politicized the security of the Prime Minister that it became politically expedient for that ex-Prime Minister in his attempt to once again come to political office to shed security at a rate which was inadvisable. Therefore, as your Bill provides that former Prime Ministers can ask that security be withdrawn from them at will, please recognise that there might be circumstances in which it is not out of their own volition but out of political circumstances that they may ask for such withdrawal leading to terrible tragedies with terrible consequences. Therefore, your provisos in Section 1 should also perhaps apply to situations where a demand for withdrawing security is made. If the security perception continues to be high, perhaps such requests should be turned down in the national interest.

Having said so, Sir, may I just repeat that I support this Bill and trust that the House will pass it unanimously?

">

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : महोदय, आज हम स्पेशल प्रोटैक्शन ग्रुप संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, न केवल इस संशोधन को लाने के लिए, बल्कि इसके लिए कि वे पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। वे वी.आई.पीज़. की उस सिक्योरिटी पर विचार कर रहे हैं, जिस पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और जो सिक्योरिटी जनता की आंखों में चुभती है। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने आंकड़ों में बताया कि १९९८ में जहां ११८ आफिशियल्स को सिक्योरिटी मिलती थी, उसको कम डाउन करके वे ३३ तक लाये हैं। आज मैं ही नहीं, सारा सदन उनकी प्रशंसा करेगा, इस बात के लिए कि कम से कम जनता की भावनाओं को समझते हुए जो सिक्योरिटी जनता की आंखों में चुभती है, उनके रास्ते में रोड़ा होती है, उसके ऊपर आज वे विचार कर रहे हैं। उन्होंने पूरे सदन के सामने एक विचार रखा है कि अगर सदन सहमत हो तो इसके ऊपर कोई न कोई और अगला कदम उठाया जा सकता है कि क्या सिक्योरिटी पर ही, क्या सुरक्षा पर और खास तौर पर वी.आई.पी. सुरक्षा पर इतने रुपये व्यय करना जरूरी है?

">

">१९९१ से भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को सिक्योरिटी दी गई। पहले यह व्यवस्था पांच साल के लिए थी, फिर १९९५ में इसे बढ़ाकर दस साल तक कर दिया गया। अब १९९९ में इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि अगर दस साल से ज्यादा भी जरूरत हो तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। जैसे-जैसे हम सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे हम समझ सकते हैं कि देश की हालत सुधार की तरफ नहीं होगी, खराब की तरफ होगी कि हमें अधिक से अधिक सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। जैसे आई.टी.ओ. में पुलिस मुख्यालय की मंजिलें बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे अपराध भी बढ़ रहे होंगे, क्योंकि सोसाइटी में इसका चलन आ रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को कवच दो, पर वह स्टेटस सिम्बल बन जाए, इसके ऊपर कम से कम सरकार को विचार करना होगा। आज यह स्टेटस सिम्बल बना हुआ है। हमारे देश में पांच भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं। मैं समझता हूं कम से कम यह जरूर जाना जाए कि किसको वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है और किसको नहीं है। मैं मणि शंकर जी की बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसा कम्पलशन हो सकता है कि व्यक्ति मना कर देगा अपनी सुरक्षा कराने के लिए इसलिए उनको सुरक्षा जरूर दी जानी चाहिए। हमारे बीच चन्द्रशेखर जी हैं, जो मास के लीडर हैं। मैं नहीं समझता कि उनको किसी से कोई खतरा है। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया है। इसी तरह से गुजराल साहब हैं, जिनके सीमा पार पाकिस्तान तक सम्बन्ध हैं। मैं नहीं समझता कि उनको कोई विशेष खतरा है। यह मेरी अपनी जानकारी के अनुसार है। इसी तरह से देवेगौड़ा जी हैं, जो कि हम्बल फारमर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनको भी किसी किस्म का कोई खतरा है। इसलिए कम से कम सरकार को और गृह मंत्री जी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि यदि कोई पूर्व प्रधान मंत्री स्वयं समझता है कि उसे सुरक्षा न दी जाए और उन्हें उतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है तो इस पर विचार करना चाहिए।

">

हमारी दिल्ली में दो-तीन लोग ऐसे हैं जिनको एन.एस.जी. मिली हुई है। मैं पिछली बार संसद की गृह मंत्रालय की स्थाई समिति में सदस्य था। मुझे पता चला कि एक व्यक्ति की सुरक्षा पर एक साल में ८० लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि शायद पूरे देश में ३८५ लोगों को अलग-अलग सिक्योरिटी मिली हुई है, उस पर कितना खर्च होता होगा। मुझे मालूम नहीं है कि एस.पी.जी. के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए।

मुझे यह भी जानकारी नहीं कि इमीजेट फैमिली का क्या मतलब है और इसमें कौन-कौन से परिवार आते हैं। क्या शास्त्री जी का परिवार और मेनका जी भी इमीजेट फैमिली के सदस्य होकर एस.पी.जी. के अधिकारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी सरकार स्पष्ट करे। मुझे याद है कि दो पूर्व प्रधानमंत्रियों देवेगौड़ा जी और वी.पी. सिंह जी ने मना किया था कि उनको इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो गृह मंत्री जी को इस पर भी विचार करना चाहिए। उससे पहले पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी स्वयं इस बात का आदर्श और विचार रखना चाहिए कि सुरक्षा की उनको आवश्यकता है या नहीं, इससे पहले कि सरकार उसके ऊपर कोई कदम उठाए, यह भी मेरे हिसाब से होना चाहिए।

दिल्ली और अन्य जगह पर एन.एस.जी. लोगों को मिली हुई है। एक-एक व्यक्ति जब कमांडोज़ लेकर चलता है तो मैं देखता हूं हमारे दिल्ली के एक नेता थे जो विवाह में जब जाते थे तो अपने कमांडोज को बाहर खड़ा कर देते थे, ताकि जनता को परेशानी न हो और उनको गालियां न दे। उस समय सुरक्षा कहां चली जाती थी। क्या हमने कभी इन लोगों को यह कहा है कि आप अपने फंक्शंस कम करो, शादियां कम अटेंड करो या कुछ दूसरी चीजें कम करें? जब सिक्योरिटी अंदर आ जाती है तब सुरक्षा का इंतजाम कैसे होता है इसलिए ये सब ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार करना होगा। हमारे यहां वी.आई.पी. की सुरक्षा लगातार स्टेटस सिम्बल बनती चली जा रही है। चाहे एस.पी.जी. की हो या दूसरी कोई सिक्योरिटी हो। गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि उनके पास लगातार इस बात के प्रतिवेदन आते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए और अगर नहीं बढ़ा सकते तो यही कर दिया जाए कि हम जेड केटेगरी में आ जाएं, ताकि हमें सरकारी मकान मिल जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि जो उनका अपना मकान है, क्या एन.एस.जी. या दूसरी सिक्योरिटी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, केवल सरकारी आवास ही कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कम से कम जेड केटेगरी के जो मकान आबंटित किए जा रहे हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए।

हम लोग जब दूरदर्शन पर अमेरिका, फ्रांस और जापान आदि देशों के बारे में देखते हैं तो हमें वहां विजिबल सिक्योरिटी नजर नहीं आती। गृह मंत्री जी बतायें कि वहां किस तरह की सिक्योरिटी होती है जो दिखाई नहीं देती, उसका ढांचा कैसा है। क्या वहां पर भी वी.आई.पी. सिक्योरिटी पर इतना खर्च हो रहा है जितना हमारे देश में हो रहा है?

इस सारे खर्च के आंकड़े क्या हैं? एक बात यह भी है कि हमारी देश में सिक्योरिटी चमकती है और दूसरे देशों में सिक्योरिटी नजर नहीं आती है। दिल्ली के आंकड़ों को देखेंगे, तो १३ प्रतिशत से ज्यादा लोग

VIP

सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर ने एक मीटिंग के दौरान बताया कि थाने के अन्दर लोग नहीं है, अपराध रोकने के लिए लोग नहीं है, किन्तु

VIP

की सिक्योरिटी के लिए १०-१३ प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं आदरणीय गृह मंत्री से कहूंगा कि वे इस पर विचार करें। इसके साथ ही इसपर जितना धन खर्च हो रहा है, इसको देखते हुए क्या आगे आने वाले दिनों में सुरक्षा कर सकेंगे।

महोदय, विधेयक के पेज-२ पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्लाज-२ में लिखा है -

"(i) the Prime Minister and the members of his immediate family; and

(ii) any former Prime Minister or to the members of his immediate family..."

मुझे लगता है, शायद ठ

or"

की जगह ठ

and"

रखा है, अगर यह गलती से रखा गया है, तो इस बारे में वे बतायें। राज्य सभा में मंत्री जी ने जो ब्यान दिया है, पेज ११०८ पर, उसमें ठ

or"

शब्द शामिल किया है। मुझे लगता है, पूर्व प्रधान मंत्री या उनके घर वालों को दस साल के लिए सुविधा दी जाएगी। इसलिए मंत्री जी ध्यान दें,

`or"

को ठ

and"

इस्तेमाल हो सकता है, तो ठ

and"

किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विचार इस बात पर भी होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था पर जो देश का हजारों-करोड़ो-अरबों रुपया अतिविशिष्ट व्यक्तियों पर खर्च हो रहा है, वह कहां तक जायज है।

">

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : सभापति महोदय,

">

">SPG

">एक्ट १९८८ में प्रधान मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए बना था। इस एक्ट में संशोधन करने के लिए कल माननीय गृह मंत्री जी ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

">

">कल माननीय गृह मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए अन्य सुरक्षा के बारे में खास तौर से

">

">NSG

">के बारे में अपने कुछ सुझाव रखे थे। उन सुझावों के ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती हूं। कल माननीय मंत्री जी ने कहा था, जो

">

">NSG VIP"s

">को दी जा रही है, उसका गठन खास मकसद के लिए हुआ था और उस पर आपने प्रकाश डालते हुए कहा था कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए

">

">NSG

">का गठन हुआ था, लेकिन इस गतिविधियों के ऊपर

">

">NSG

">का इस्तेमाल करने के बजाए

">

">VIP"s

">की सुरक्षा के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है।

">

">इसलिए एनएसजी को यदि वीआईपी की सुरक्षा से हटाकर देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है। यह मेरा सुझाव है और यह सुझाव आपने कल दिया था। इसके बारे में मैं एक-तो बातें कहना चाहूंगी।

">

">यदि एनएसजी का कुछ वीआईपीज द्वारा प्रतिष्ठा के तौर पर या बंगला लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो माननीय गृह मंत्री जी ऐसे केसेज में जांच करवा कर उनकी सुरक्षा से एनएसजी को हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे राजनीतिज्ञ जिनको वास्तव में उग्रवादियों से खतरा है उनकी सुरक्षा से एनएसजी को हटाकर दूसरी फोर्स द्वारा उनकी सुरक्षा उतनी तेज और तीव्रता से नहीं होगी जितना कि एनएसजी द्वारा। इसलिए इस बात की भी आपको छानबीन करनी होगी कि किन राजनीतिज्ञों को उग्रवादियों से खतरा है और उनको एनएसजी की जरूरत है। उदाहरणार्थ, मुझे दो जून १९९५ से पहले एनएसजी की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गैस्ट-हाउस में ठहरी हुई थी। जिस पार्टी की उस समय समय सरकार थी उसने लोकल पुलिस की देखरेख में असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर हमला करवाया, जिसके जीते-जागते गवाह आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री मोतीलाल वोहरा थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजकर सारी बातों की छानबीन कराई थी। उस समय केन्द्र को दखल देना पड़ा था। अगर लोकल पुलिस के ऊपर मेरी सुरक्षा का दायित्व छोड़ दिया जाता, तो मेरी हत्या जरूर हो जाती।

">

">माननीय कांशी राम जी तो उस समय बीमार हालत में इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। उसी दिन रात को प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से बात करके सीआरपीएफ को वहां लगाया गया, तब जाकर मेरी जान बची। उसके बाद काफी धमकियां आती रहीं। दो जून की घटना के बाद आपने मुझे एनएसजी दी। वर्ष १९९५ के बाद से मेरे पास एनएसजी रही। उसके बाद १९९६ में एसेम्बली का इलेक्शन हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी और वह ६ महीने चली। जब हमने सत्ता ट्रांसफर की तो उसके कुछ समय बाद हमें लगा कि बहुजन समाज का हित अब सुरक्षित नहीं है।

">

">१९ अक्तूबर १९९७ को जब समर्थन वापस लिया और २१ अक्तूबर १९९९ को विधान सभा में विश्वासमत प्रस्ताव पेश किया गया, मैं उस समय की घटना बताना चाहती हूं। उस समय उत्तरप्रदेश विधान सभा में हिंसा की वारदात हुई। मैं मुश्किल से अपनी जान बचा पाई। हिंसा की वारदात के समय मैं लॉबी की तरफ भागी। लॉबी का एक दरवाजा अन्दर की तरफ और दूसरा बाहर की तरफ जाता था। जब मैं बाहर की तरफ भागी तो बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया। माइक मेरी तरफ उठा कर फेंके गए। लॉबी के दरवाजे टूट गए और मैं मुसीबत में फंस गई। लोकल पुलिस विधान सभा में थी। लोकल पुलिस ने विधान सभा के स्पीकर से इसकी परमिशन ली थी। लोकल पुलिस सादी वर्दी में वहां मौजूद थी। उन्होंने मेरी सुरक्षा नहीं की। मेरे पी.एस.ओ. ने एन.एस.जी. को सूचित किया। बाहर वाला दरवाजा अन्दर से बंद था। एन.एस.जी. ने लॉबी का दरवाजा तोड़ा और मुझे बचा कर ले गए। एन.एस.जी. ने इसकी सूचना हैड क्वार्डर में दी। किसी को भी एन.एस.जी. को राजनीतिक बदले की भा वना से नहीं हटाना चाहिए।

">

">माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधान मंत्री बने तो वह लखनऊ गए। लखनऊ में उनको स्वागत के लिए बुलाया गया था। मेरे पास जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी लेकिन वहां की सरकार ने यह कह कर वापस ले लीं कि वह गाड़ी दो दिन के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए चाहिए। वह इसके बाद वापस कर दी जाएगी। मेरे से वह गाड़ी वापस ले ली गई। वह गाड़ी आज तक वापस नहीं की गई है। मुझे पर्सनल सिक्योरिटी का जो स्टाफ उत्तर प्रदेश से मिला था उसमें शेडयूल्ड कास्टस, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग थे। उनको छांट-छांट कर हटा दिया गया और उनके स्थान पर अपर कास्ट के लोगों को लगा दिया गया। इस मामले को इसी सदन में आरिफ मोहम्मद खां जो मैम्बर पार्लियमैंट थे, उठाया। हमने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी। मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इसमें दखल देकर जातिगत भावनाओं से किए गए तबादलों को रोका। कहने का तात्पर्य यह है कि वी.आई.पीज. को जो एन.एस.जी. प्रोवाइड की जाती है, अगर वह किसी की प्रतिष्ठा को देखते हुए दी जाती है तो उसे हटाया जा सकता है लेकिन जिस की जान को खतरा है, यदि उसके यहां से एन.एस.जी. हटाएंगे तो ठीक नहीं होगा। १३वीं लोक सभा के इलैक्शन के लिए जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सहारनपुर में आई.एस.आई. के लोग पकड़े गये और मारे गए। उनके यहां से जो दस्तावेज मिले उसकी आप रिपोर्ट मंगा कर देख सकते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के दो-तीन पॉलिटिशियन्स के नाम हिट लिस्ट में थे। वे उनको मारने की नीयत से आए थे। बी.एस.पी. में मेरा नाम हिस्ट लिस्ट में था। मेरी सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार काफी निष्क्रिय थी। जब आई.एस.आई. के लोग मारे गए और उनके यहां से जो कागजात बरामद हुए तो उन्हें लगा कि मेरा नाम हिट लिस्ट में है।

">

">उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी सिक्यूरिटी टाईट की। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मैंने नहीं चाहा कि एन.एस.जी. किसी प्रतिष्ठा को लेकर लगाई जाये, किसी वी.आई.पी. के साथ या जगह लेने के लिये लगाई जाये। जिन वी.आई.पी. के लिये एन.एस.जी. जरूरी है, उसे जरूर दी जाये। इसका कारण यह है कि अएक तरफ असामाजिक तत्व हैं, जो मेरा जान के पीछे पड़े हुये हैं और दूसरी ओर राजनैकित द्वेष की भावना है। मेरे सामने २ जून, १९९५ की घटना है जब मुझपर जानलेवा हमला किया गया था। अभी १३वीं लोकसभा के चुनाव के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से

">

">ISI

">लोगो के पास से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें मेरी हत्या का षडयंत्र किया गया था। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जब भी मैंने लोकसभा में व्यवस्था परिवर्तन के बारे में आवाज उठायी, मनुवादी प्रवृत्ति के बारे में बोला या बाहर किसी रैली में बोला तो मैने यह महसूस किया है कि उसके तुरंत बाद मेरे पास बिना नाम । के टेलीफोन आते हैं कि आप ०.यवस्था परिवर्तन के खिलाफ बोलती हो, इसलिये हम आपको कभी भी मार सकते हैं। इस किस्म के धमकीभरे टेलीफोन मेरे पास आते हैं जब भी मैं व्यवस्था परिवर्तन के बारे में लोकसभा या बाहर बोलती हूं। ऐसे फोन उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली से भी आते हैं। मेरी माननीय गृहमंत्री जी से प्रार्थना है कि राजनैतिक लोगों के खतरे को देखते हुये एन.एस.जी. सुरक्षा दी जाये। जहां राजनैतिक द्वेष हो, वहां न हटायी जाये। मैं इसके साथ यह बात भी जोड़ना चाहूंगी कि राजनैतिक द्वेष के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने एन.एस.जी. हटाने की पूरी कोशिश की लेकिन माननीय गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी एजेंसी की रिपोर्ट आने पर भी मेरी सिक्यूरिटी नहीं हटायी और एन.एस.जी. बरकरार रखी।

">

">सभापति महोदय,मेरे खिलाफ बदले की भावना के कारण क्षेत्र का डेवलेपमेंट कार्य नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ अकबरपुर लोकसभा की सीट आती है जिसे १९९५ में डा. अम्बेडकर नगर के नाम से अलग जिला बना दिया गया है।

">

">यह अकबरपुर सीट अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित है। इस बार मैं अकबरपुर से चुनकर आयी हूं। मैं बदले की भावना का जिक्र इसलिये कर रही हूं कि जब मैं पिछली बार इसी निर्वाचन क्षेत्र लसे चुनकर आयी तो सासंद निधि का पैसा दूसरी बार इसलिये नहीं दिया गया क्योंकि डी.एम. ने स्पष्ट पत्र केन्द्र सरकार को नहीं भेजा जिसके कारण एक किश्त आयी लेकिन दूसरी किश्त नहीं मिली। यह सब प्रदेश सरकार के प्रभाव में किया गया ।

">

">सभापति महोदय, अकबरपुर में टांडा में थर्मल प्लांट है जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। इसको एन.टी.पी.सी. को बेचने की कार्यवाही चल रही है। इसलिये मेरे क्षेत्र में बदले की भावना से यह सब कार्य किये जा रहे हैं। मेरी सिक्यूरिटी को डिस्टर्ब तो नहीं किया जा रहा लेकिन डेवलेपमेंट के कार्य मेरे क्षेत्र में रोके जा रहे हैं। जो लोग उस प्लांट में काम कर रहे हैं, वे कहां जायेंगे, किसान कहां जायेंगे। अकबरपुर पहले अपर ग्रेड रेलवे जंक्शन था जिसे लोअर ग्रेड का कर दिया गया है। इस प्रकार बदले की भावना से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह डिस्टर्बेंस की जा रही है। इस प्रकार मेरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार मेरे डेवलेपमेंट के कार्य में दखल दे रही है। इसलिये मैं माननीय गृहमंत्री जी के माध्यम से रिक्वैस्ट करूंगी कि कि आप जब भी निर्णय लें, कृपया इस मामले को देखें कि राजनैकित द्वेष के आधार पर राज्य सरकार से कोई लैटर रिकमेंड होकर न आये।

">

">मुझे माननीय मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। अभी भी आप उत्तर प्रदेश की सरकार के इनफ्लूएंस में नहीं आए हैं । आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया और आगे भी उन पोलिटीशियन्स के साथ भी, जैसे कुमारी जयललिता के बारे में मुझसे पूर्व सदस्य अपने ख्यालात रख रहे थे, उन्होंने भी ज़िक्र किया, ऐसे बहुत से पोलिटीशियन्स हैं जिनको असामाजिक तत्वों से खतरा है, आतंकवादियों से खतरा है, आप उनकी सिक्यूरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आपने जो संशोधन विधेयक रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

">

">श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : एम.पी.एल.ए.डी.एस. में कलेक्टर हमारे प्रोजेक्टस को रेकमंड नहीं करता है इसलिए क्या हमें सिक्यूरिटी चाहिए?

">

">MR. CHAIRMAN : Please take your seat. We are not discussing MPLADS.

">श्री खारबेल स्वाइं : कलेक्टर ने स्कीम्स नहीं मानीं, इसलिए इनको भी सिक्यूरिटी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं?

">

">MR. CHAIRMAN : Shri Swain, please take your seat. We are not discussing MPLADS.

">SHRI KHARABELA SWAIN : It is very, very ridiculous.

">MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

">यह डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है।

">

">

... (व्यवधान)

">

">

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी जो संशोधन लाए हैं एस.पी.जी ऐक्ट में, यह बड़ा संक्षिप्त लेकिन संवेदनशील है। अपने बयान में इन्होंने सदन को कहा कि सदन सहमति दे तब अफसर, वीआईपी और एसपीजी और एनएसजी में कटौती की जाए और दावा किया है कि बड़ा रुपया इस पर खर्च होता है और अफसरों की भी संख्या सिक्यूरिटी में घटाई जाए। अब इसमें हम लोग कैसे साथ दें? इसमें हम लोग कब तक साथ दें और फिर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो कमीशन बैठ जाता है कि एस.पी.जी. हटाने से ही हत्या हुई। अपने देश में देखा गया कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई। वे ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि दूसरे को नहीं मारो। सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश उन्होंने दिया। उस व्यक्ति की हत्या हो गई। इसलिए जो कोई भी बड़े आदमी हों, भूतपूर्व हों या आदरणीय व्यक्ति हों, हम लोग नहीं कहेंगे कि ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा सिपाही उसमें लग रहे हैं इसलिए उसको हटाया जाए। कौन कमीशन फेस करेगा, हमारा भी नाम उसमें आ जाएगा। साल भर

कमीशन बैठता है इसलिए उस मामले में हम साथ नहीं देने वाले हैं कि ये कटौती करें कि बड़ा खर्च लग रहा है। जब विधि व्यवस्था चौपट रहती है अथवा आतंकवाद हो जाता है तो आतंकवादी किसी बड़े आदमी को नहीं खोजता है, वह पदधारी लोगों को खोजता है और सॉफ्ट टार्गेट देखता है। बड़े आदमी से नाराज़गी नहीं होती है फिर भी उसको खतरा करता है कि आतंक पैदा कर दें। आतंकवादी किसी कारण से हत्या नहीं करता है। इसलिए हम साथ नहीं देने वाले हैं कि एस.पी.जी., एन.एस.जी. में कटौती करें। हमें एक बात से ऐतराज़ है कि कभी-कभी जो निर्णय करने वाले हैं कि किनको सिक्यूरिटी दी जाए, वह अपने चहेते लोगों को सिक्यूरिटी दे देते हैं। कभी-कभी अपराधी लोगों को भी सिक्यूरिटी दे देते हैं जिसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जो अपराधी है, जिस पर धारा ९५, ९६ या ३०२ लगी है, वह लोग भी छद्म वेश में वी.आई.पी. हो जाते हैं और वह लोग सिक्यूरिटी लेकर अपराध कराते हैं और उसी सिक्यूरिटी में कुछ अपराधी लोग भी वर्दी पहनकर शामिल हो जाते हैं और वोट में खड़े होकर बूथ लूटने का काम करते हैं। इस तरह से उसका दुरुपयोग होता है। सिक्यूरिटी हमारे देश का सर्वोच्च मामला है। सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की जान-माल की सुरक्षा करना। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि करोड़ों लोगों के लिए जो सिक्यूरिटी की व्यवस्था है और दो चार या सौ लोगों के लिए वी.आई.पी. की व्यवस्था है।

">

कुछ व्यक्तियों पर करोड़ों रुपये क्यों खर्च हों और करोड़ों लोगों पर कम खर्च क्यों हो, उनकी सिक्यूरिटी का क्या होगा। यह सुनने में प्राइमा फेसी खराब लगता है। लेकिन जो उच्च पदों पर हैं, जिन्हें थ्रैट परसैप्शन है, जान का खतरा है, उनकी सुरक्षा में कटौती मत कीजिए। हम लोग कमीशन के लिए तैयार नहीं हैं, उस कमीशन में हम लोगों का भी नाम आ जायेगा, कमीशन बहुत दिन तक चलता है। इसलिए सरकार को आजादी रहनी चाहिए कि वह अपने विवेक का प्रयोग करे और देखे कि किनको खतरा है और किनको नहीं है और सरकार इस बात का जरूर संयम बरते कि सिक्यूरिटी चहेतों को न दी जाए, क्रिमिनल्स को न दी जाए, जो क्रिमिनल रिकार्ड वाले हैं, बूथ छापने वाले हैं, उन्हें न दी जाए। वे सिक्यूरिटी की दस-दस गाड़ियां लेकर चलते हैं और यहां प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी जान का खतरा है और दूसरी तरफ अपराध करते हैं, बूथ लूटते हैं, अपहरण, फिरौती और न जाने क्या-क्या करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि बड़े और सम्माननीय लोग, जिन्हें थ्रैट परसैप्शन है, उन्हें एस.पी.जी., एन.एस.जी., साधारण पुलिस या दिल्ली पुलिस जो भी हो दे दें, जब तक विधि व्यवस्था में सुधार न हो। लेकिन उसमें चहेतों को पैरवी पर और सिक्यूरिटी को स्टेटस सिम्बल के रूप में जो लेते हैं, जो आडम्बर करते हैं और जो अपराधी किस्म के लोग हैं, छद्मवेश में अपनी जान का खतरा बताकर सिक्यूरिटी ले लेते हैं। मेरे पास इसका उदाहरण है और मैंने इस बारे मे पत्र भी लिखा है। इन्हीं बातों को कहने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

">

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, हिंदुस्तान में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी जी की हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी।

... (व्यवधान)
">

">श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : सर, आज इनका बर्थ डे है, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं।

">

">श्री मोहन रावले : धन्यवाद। मैडम सोनिया गांधी जी का भी आज जन्म दिन है, मैं उन्हें भी अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं।

">

">श्री मणि शंकर अय्यर : आज मेरी बेटी का भी जन्म दिन है।

">

">श्री मोहन रावले : आपकी बेटी को भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। यहां प्रमोद महाजन जी नहीं हैं, आज उनकी भी बेटी का जन्म दिन है।

... (व्यवधान)
">

">सभापति महोदय, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इस देश के लिए एक कलंक है। हमारे घर में उन्हें मारा गया। 'चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाये, सावन जो आग लगाये तो उसे कौन बुझाये।' उन्हें घर के आदमी ने मार डाला, घर के आदमी को कौन रोक सकता है। यह बहुत दुखद बात है। लेकिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई

">

">१५४८ बजे (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए)

">

">उसके पहले यहां अर्जुन सिंह जी ने मामला उठाया था, तब यहां पर बहस हुई थी। हमने उनका समर्थन किया था। उसमें कमियां भी थीं। लेकिन मैं उसके डीटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन वर्मा कमीशन की एक रिपोर्ट है -

">

">The Verma Commission examined the aspects relating to security lapse which led to Shri Rajiv Gandhi''s assassination.

">उसमें जो कमियां थी, उनकी वजह से राजीव गांधी जी की हत्या हुई। राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी होने के नाते हम सोनिया जी का बहुत आदर करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था, तभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय गृह मंत्री आडवाणी जी और सोनिया जी के बारे में ह्यूमैन बॉम्ब की थ्रैट थी, जिस ह्यूमैन बॉम्ब की वजह से राजीव गांधी जी मारे गये थे, उसी तरह से इन्हें मारने की साजिश की जा रही थी। हरियाणा पुलिस ने खालिस्तान समर्थक तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, वहां के डायरेक्टर जनरल ने यह स्टेटमैंट दी थी। सर, उस वक्त जब सोनिया गांधी जी के समय जब अर्जुन सिंह और प्रणव मुखर्जी प्रधान मंत्री जी से मिले थे तो प्रधान मंत्री ने साफ-साफ कह दिया था कि आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है और उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहां हमारे भाई श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, हमारी बहन मायावती जी और श्री मणि शंकर अय्यर जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने यहां बहुत सी बातें रखी हैं। रघुवंश प्रसाद जी ने कहा है कि सुरक्षा में कटौती नहीं होनी चाहिए। मायावती जी ने भी कहा कि जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रधान मंत्री जी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन और भी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह देश चाहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे हैं, जो प्रधान मंत्री नहीं हैं। लेकिन आज जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जॉर्ज फर्नांडीज, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री फारूख अब्दुल्ला जी और सोनिया जी मारने के लिए साजिश होती है, वैसे ही शिवसेना प्रमुख

बालासाहेब ठाकरे का छठा नाम भी इन्हीं लोगों में है।

">

">सभापति महोदय, हमारे माननीय शिव सेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे जी को भी खतरा है और ठाकरे साहब तो देश प्रेमी हैं। जो हिन्दुस्तान को नहीं मानते हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, उनके खिलाफ ठाकरे जी ने आवाज उठाई। मुम्बई शहर में १२ मार्च १९९३ में बम विस्फोट कराए गए जिनमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था। उन्होंने कहा कि दाऊद को हिन्दुस्तान लाया जाए। शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को मारने की दाऊद इब्राहीम साहब की साजिश के बारे में अखबारों में भी आया। आई.बी. द्वारा बार-बार सूचना मिलती रही है कि शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जान को खतरा है। वे हमारे महाराष्ट्र के लाड़ले हैं और सारा हिन्दुस्तान उनको चाहता है और आज उनके लिए खतरा पैदा हो गया है।

">

">सभापति महोदय, उन्हें सुरक्षा कांग्रेस के राज्य में दी गई थी। अब महाराष्ट्र में फिर कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन कांग्रेस सरकार के महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वे शिव सैनिकों के प्रति शत्रुता की भावना रखते हैं। उनके स्टेटमेंट बार-बार आ रहे हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी शिव सैनिकों के प्रति शत्रुता बढ़ रही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि शिव सैनिक ठाकरे जी की सुरक्षा कम करेंगे। मेरी आपके माध्यम से गृह मंत्री भारत सरकार से आपील है कि ठाकरे साहब की सुरक्षा कम न की जाए।

">

">सभापति महोदय, मैं ७-८ फरवरी १९६९ की बात बताता हूं जब बाला साहब ठाकरे जी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र में लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया जिसके कारण सारा मुम्बई शहर चार दिन तक जलता रहा। वहां के उस समय के मुख्य मंत्री श्री वसन्तराव नाईक जी थे। उन्होंने जेल में संदेश भेजा कि बाला साहब ठाकरे जी आप मुम्बई को शान्त कीजिए। उसके बाद बाला साहब ठाकरे जी की अपील पर मुम्बई शान्त हुई। ऐसा ही तब हुआ जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। लोग उनको चाहते हैं। लोग उनको प्यार करते हैं।

">

">श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि महात्मा गांधी का कंपैरीजन बाला साहब ठाकरे जी से न किया जाए।

">

">श्री मोहन रावले : दासमुंशी जी मैं आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पहले उसको सुन लीजिए। बाला साहब ठाकरे जी हमारे लिए भगवान हैं, ऐसा महाराष्ट्र और पूरे देश के लोग मानते हैं। वे हमारे लिए सब कुछ हैं, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ बातों के लिए कंपैरीजन किया जा सकता है। लोगों का जितना प्यार महात्मा गांधी के लिए था उतना ही प्यार महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के लिए है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र को सरकार को डायरैक्टिव ही नहीं बल्कि अमल करने का निर्देश दिया जाए कि जो ब्लैक कमांडो सुरक्षा बाला साहब ठाकरे को दी गई है, वह दी जाए।

">

">मैं बताना चाहता हूं कि दंगा भड़काने के लिए महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री श्रीकृष्णा आयोग की रिपोर्ट के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, उनको आप रोकिये। मेरी सरकार से विनती है कि उनकी इम्पोर्टैंस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कम न करके बढ़ानी चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इस बारे में गृह मंत्री जी तुरंत आदेश दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

">

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Mr. Chairman, Sir, we support the Bill. This Bill is further to amend the Special Protection Act, 1988. First of all we all express our regret over the way in which SPG protection was withdrawn from our late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. It was not only shocking but it was a disastrous decision on the part of the then Government and the nation and the country had to suffer a lot for that.

">Sir, what is my query? It is a very small query. I agree with you when you said at the beginning of your speech that SPG has now become a status symbol. SPG protection is provided to former Prime Ministers also, including their family members. But it is unfortunate that even a few former Prime Ministers who were provided with SPG protection could not win in the Parliamentary election and their deposits had to be forfeited. They cannot win even an election. But they have to move with SPG guard and SPG protection. I do not know whether there is really any threat perception to the lives of all those who are now being guarded with SPG.

">Sir, yesterday in your speech you stated about the performance of the Delhi Police and the total number of Delhi Police personnel and how many of them are guarding the VVIPs or VIPs.

">So far as the provision of SPG protection is concerned, it is to be reviewed from time to time, either in every six months or more. Maybe that the threat perception to the life of a person that is there today may not be there tomorrow. Once SPG protection has been provided, that will continue for long. It is not a proper decision and the Government can think of it very seriously. This provision for SPG protection is to be reviewed from time to time and gradually it is to be cut down.

">I do not know whether our leader, Kumari Mamata Banerjee will be angry with me when I mention regarding her security matters in our State. Not less than five attempts have been made at her life. Even today she has not been provided with proper security arrangement or security guards, which she does not like at all. But I want to know from you whether the Central Government is still concerned about it or not.

">I do not know whether many persons who are getting proper protection from SPG and other security agencies really are eligible for it or not. Excepting for two or three or four persons who really require it, the SPG protection should not be there, otherwise this system is to be totally withdrawn so far as other members are concerned.

">16.00 hrs

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, there can be no two opinions that we cannot take chances with security. There cannot be any dilution or reduction of necessary security. I, therefore, rise in support of the Bill. I also thank the Government for having responded positively and timely to the threat perception with respect to our Madam Sonia Gandhi. The Government came out with the Ordinance, and we have the Bill to replace the Ordinance with, perhaps, the necessary modifications. Sir, we support the provisions of the Bill.

">Mr. Chairman, Sir, it is most unfortunate that dangers of political assassinations are growing within our country. It is the most unfortunate aspect, but then providing security cover is, therefore an inevitable necessity. This is not a political issue. The Government cannot shirk the fact that the responsibility rests with the Government, and the security agencies have necessarily to provide foolproof security.

">Mr. Chairman, Sir, I must emphasise the fact that we cannot depend wholly and solely on security agencies, even the SPG, and certain other factors, which are issues connected with questions of wider internal security, have also to be taken into consideration. The security agencies have to be supported, for example, by (1) the creation of a reliable and efficient intelligent network; (2) the correct identification of potential threats, and (3) there has to be support from the civil police. The State police force are continuously deteriorating. There is need for their modernisation; there is need for impartiality over there. We cannot ignore these questions and talk adequately about the security cover. So, these wider issues of the internal security have to be taken into consideration. It is only when our security agencies are supported by these various other factors that an effective pattern of responsibility can come up. When we talk of the effective pattern of responsibility, I come to the question posed by the hon. Home Minister to this House, the question of NSG. Certainly, the NSG cannot be simply withdrawn from VIP security. Otherwise, an equal force of an equal rank will have to be created. These are the questions of practical necessity, unfortunately, in view of the situations that we have.

">Some of our Members have referred to various personalities -- the question of security cover to Madam Jayalalitha, the question of security cover to our hon. Mayawatiji. All these matters, I do not want to repeat, but then I must assert that effective pattern of responsibility needs that there is no reduction or dilution of security in these necessary cases.

">The hon. Home Minister also referred to the question of accommodation being provided on consideration of security. Now, there cannot be a blanket ban on provision of the accommodation on questions of internal security. Sometimes, threat perception may need a proper accommodation, and then strictly going in accordance with the threat perception, such a thing may have to be provided.

">Mr. Chairman, Sir, I may also emphasize that there are serious and shocking instances of abuse of police authority and the authority of the security forces and harassment to citizens. This must be checked.

">Sir, here I would also like to draw the attention of the hon. Home Minister to another important fact. The security, if it has to be effective must be discreet. If the security is very conspicuous, then it is self-defeating in nature. A VIP being taken in a motorcade with a truck load of security or police people with a siren is not only a nuisance to the citizens but also is a clear and easy target to those who want to do harm to the VIP. Therefore, this particular fact that security has to be discreet has also to be considered.

">16.06 hrs (Dr. Laxmi Narayan Pandey in the Chair)

">Mr. Chairman, Sir, now I come to a very important matter. It is a very anguishing matter; it is a serious matter. It is something that is an assault on the very basis of secular democracy of our polity. I understand that oral instructions have been given that sensitive desks in the Home Ministry, in security agencies, in police and such other forces shall not be occupied by Muslims, Sikhs and such other minorities. The matter is agitating the minds of the minorities. Let the hon. Home Minister react to this matter in most clear terms ... (Interruptions)

">SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): How did he know that oral instructions have been issued? ... (Interruptions)

">SHRI G.M. BANATWALLA : I am giving an opportunity to the hon. Home Minister to come clean on this ... (Interruptions) because circulation of such reports agitate and create tension in the minds of the people outside ... (Interruptions)

">श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : इसका इस इश्यू से क्या सम्बन्ध है। आप हर चीज को कम्युनलिज्म से मत जोड़िये।

... (व्यवधान)
">

">SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): How did he know that oral instructions have been issued? ... (Interruptions) Sir, he is trying to create confusion in the minds of the Muslims and Sikhs who are loyal to this land .. (Interruptions)

">श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : इस तरीके से किसी भी इश्यू को उठा लेना ठीक नहीं है। ... (

">

">Interruptions)

">SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): The hon. Home Minister will reply to debate. Why are you getting excited? ... (Interruptions)

">SHRI KHARABELA SWAIN How can they speak without knowing the facts? ... (Interruptions)

">MR. CHAIRMAN : Shri Banatwalla, please conclude now. ... (Interruptions)

">SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, the moment they try and disrupt an honest question addressed to the hon. Home Minister, you are asking me to conclude.

">Sir, let the Chair not come under such cloud. It is with good faith that I have raised this question. Let not such reports circulate and agitate and create tension outside. I am giving a direct opportunity to the hon. Home Minister to come clean on this particular issue ... (Interruptions)

">SHRI PRAKASH PARANJPE : You have to find out the facts first ... (Interruptions)

">SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, I understand that instructions have been issued, let him contradict, that sensitive desks cannot be chaired by Muslims, by Sikhs and by other people belonging to the minority community and the question of appointment and recruitment to forces like the IB, the RAW, the CBI, the CRPF etc ... (Interruptions)

">MR. CHAIRMAN: Please wind up and conclude now.

">SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, please be patient with me. We are dealing with a very important aspect of the Home Ministry.

">MR. CHAIRMAN: The allotted time for discussion of this subject was one hour. You have taken more time.

">SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, is it being directed towards me?

">MR. CHAIRMAN: No.

">SHRI G.M. BANATWALLA : Thank you.

">MR. CHAIRMAN: But I am seeking your cooperation.

">SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, I am responsible Member of this House and I shall not be taking time of the House even a minute more than what is necessary.

I will therefore, request the hon. Home Minister to take note of this particular aspect not only to assure the House of the situation in this regard but also to give directions that no discrimination whatsoever is practised and justice is done. Now, Sir, I come to another important point.

MR. CHAIRMAN : Shri Banatwalla, there are four Members more to speak.

SHRI G.M. BANATWALLA : Is that my responsibility, Sir?

MR. CHAIRMAN: It is not your responsibility. I am seeking your cooperation. I have to accommodate others also.

SHRI G.M. BANATWALLA : Please do accommodate them also, Sir.

Who is going to assess the level of security that is necessary? That is also an important aspect. Hon. Member, Shri Mani Shankar Aiyar had drawn attention to this particular aspect. I would say that in order that there may be no apprehensions and there is no political abuse in this particular question, we have to come clear in deciding as to the authority that decides on the level of security that is necessary. There should be a Committee including the Home Minister, the Leader of Opposition and such other personalities, which should have a final say in the matter so that the doubts and suspicions that the entire matter is looked at from the political point of view, come to rest.

With these few words, I thank you.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Mr. Chairman, Sir, I support the Bill and I associate with the views expressed by my senior colleagues Shri Mani Shankar Aiyar and Shri Banatwalla. I do not want to say much on the Bill because many senior speakers and well-versed Members have spoken on it.

">As we say, this august House is the House of the People. This is not the House of leaders only. I, therefore, request the hon. Home Minister to take care that inconvenience caused to the common people is removed while implementing the Bill. When VIPs like the Prime Minister, for whom I have the highest respect, move from place to place, a lot of inconvenience is caused to the common people. In Delhi, it is managed well and not much inconvenience is caused to the public nowadays. However when they go outside, to cities like Ahmedabad, Mumbai, etc., roads are blocked for traffic for hours together. Rehearsals are also conducted on the previous day of the visit of the VIP when hundreds of policemen are made to stand on the road for the whole day. That creates problems for the students who have to sit for examinations, unemployed people who have to appear for competitive examinations and sick people who have to go to hospitals. At such times, not only vehicles are not allowed to ply on the roads but even pedestrians are not allowed to move during the period starting one hour before the visit of the VIP. This may kindly be stopped.

">As far as political assassinations are concerned, whether it is of Mahatma Gandhi, of Madam Indira Gandhi, or of Shri Rajiv Gandhi, -incidentally we have lost three leaders in our country -- the main reason behind them was religious fanaticism. I would request this august House to do some introspection and find out why the young boys or certain groups are involving themselves in such acts. I am of the considered opinion that there are a few problems in the country. If they are solved, a part of the threat perception for, at least, certain people will be removed and the security requirement will also be reduced to that extent. There are issues in the country which require solution at an early date. As far as terrorists are concerned, the Government should take proper steps to restrict their activities.

">My main request is that the inconvenience caused to the common people may be looked into while implementing the Act.

">

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

">

">माननीय गृह मंत्री जी ने

">

">SPG
">

">सिक्योरिटी के बारे में कुछ सुझाव रखे हैं। ई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि

">

">SPG

">कवर में विदड्रा करना चाहते हैं। हम नहीं समझते हैं कि सरकार को इसमें क्या आपत्ति है। हम समझते हैं, जब वे स्वयं अपनी सिक्योरिटी वापस करना चाहते हैं, तो सरकार को उसको मंजूर करना चाहिए।

">

">दूसरी बात, माननीय सदस्य, श्री रघुवंश प्रसाद जी, ने जो बातें कही हैं, मैं उन पर अपनी सहमति रखता हूं। ऐसे बहुत से लोग है, जिनका पिछला रिकार्ड बहुत खराब है, लेकिन उसको व्यापक ढंग से सिक्योरिटी मिलती रही है और वे सिक्योरिटी का राष्ट्रीय स्तर पर मिसयूज करते रहे हैं। मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार राज्य में भी ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दी गई है, जिनके क्रिमिनल्स रिकार्ड हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको रिव्यु करायें, ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्री खराब है, उनको सिक्योरिटी कवर से हटाया जाए और आम जनता, जिसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, उनको सिक्योरिटी देकर जनप्रतिनिधियों की सिक्योरिटी को रोका जाए। हमारे माननीय सदस्य, प्रभुनाथ सिंह जी, के बारे में

">

">IB

">की चार-चार रिपोर्ट हैं और उन्होंने स्वयं गृह मंत्री जी को लिखकर भी दिया है कि उनकी जान को खतरा है, कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई है। हम प्रार्थना करेंगे कि उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी की सुविधा के लिए एक समय होना चाहिए, रिव्यु किया जाना चाहिए कि उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता है या नहीं।

">

">एक बात मैं और कहना चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा दी गई है, लेकिन उनके खानदान में जितने लोग हैं, उनको भी

">

">SPG

">कवर दिया जाता है। अगर इंदिरा गांधी खानदान को कवर दिया जाता है, तो मेनका गांधी को कवर क्यों नहीं दिया जाता है - इस बारे में हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं। इस तरह का डिक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यह देखना चाहिए, अगर पूर्व प्रधान मंत्री जी की जान को खतरा है, तो सरकार उनको

">

">SPG

">सिक्योरिटी कवर दे, लेकिन सारे खानदान मोटर दें, गाड़ी दें, लेकिन इस व्यवस्था के लिए अनर्गल बाढ़ को समाप्त किया जाए।

">

">इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">

">

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): सभापति जी, जिस विधेयक को मैंने कल प्रस्तुत किया था, मैं आभारी हूं, सदन का और सभी पक्षों का कि उस विधेयक का सभी लोगों ने निरपवाद रूप से समर्थन किया है। एक स्वर से सभी लोगों ने कहा है कि

">

">SPG

">एक्ट में जो संशोधन लाया जा रहा है, वह उचित है, आवश्यक है, सामयिक है। इसी कारण आर्डिनेंस साधारणतः वांछनीय नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उसमें एक तारीख निर्धारित थी, जिस पर सिक्योरिटी कवर श्रीमती सोनिया गांधी से विदड़ा हो जाता, अगर संशोधन नहीं किया जाता। संसद उससे पहले मिलना संभव नहीं था और संसद के मिलने के दो दिन पहले ही कवर वापस हो जाता। इसी कारण यह परिवर्तन किया गया।

">

">मैं आभारी हूं, मणिशंकयर अयैयर जी का, जिन्होंने

">

">SPG

">एक्ट की विशद विवेचना की कि

">

">SPG

">का स्वरूप क्या है। उनका यह कहना उचित था, क्योंकि मैंने

">

">SPG

">बिल को प्रस्तुत करने के साथ-साथ कुल मिलाकर देश में

">

">VIP

">सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातें कहीं, जिनका

">

">SPG

">बिला से सीधा संबंध नहीं था। इसीलिए कुछ सदस्यों ने

">

">SPG

">के संदर्भ में कुछ बातें कहीं कि उन पर इतना खर्चा होता है, इत्यादि। कभी देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, उस समय कहते हैं कि देश की सुरक्षा पर कितना भी खर्चा होता हो, जितना आवश्यक हो, वह जरूर करना चाहिए। हमें खर्चे को देखते हुए देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं, इस लोकतन्त्रीय देश में प्रधान मंत्री का जो स्थान है, वह स्थान ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के निर्णय करने के लिए पूर्णतः अपने को समर्थ मानें।

">

">इस दृष्टि से जो सुरक्षा जरूरी है उसमें कुछ खर्चा भी होता है। उसकी चिंता की कोई बात नहीं है।

">

">दूसरी बात जो इसी संदर्भ में मैंने कही थी उसका संबंध खर्चे से इतना नहीं था जितना आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से था। आम नागरिक की जितनी सुरक्षा २० साल पहले अच्छी थी, वह अब नहीं है, वह बिगड़ती गयी है और हमारे पास सुरक्षाकर्मी सीमित हैं। जो सार्वजनिक जीवन में प्रमुख लोग हैं, अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं या ऐसे ही प्र मुख पदों पर जो लोग आसीन हैं उनके लिए कितना हम कर सकते हैं, इसकी भी मर्यादा हमको पहचाननी चाहिए। दूसरा सवाल इसीलिए मैंने खड़ा किया था।

">

">प्रायः सभी वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि सुरक्षा व्यवस्था का संबंध किसी व्यक्ति के ऊपर संकट कितना है, इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम जो एसपीजी एक्ट में संशोधन कर रहे हैं उसमें यह बात हम पहली बार लाए हैं कि केवल कोई पूर्व प्रधान मंत्री है इसीलिए उसको सुरक्षा अनंतकाल तक मिलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा इरादा १० साल तक घटाने का नहीं था क्योंकि बाकी जो पूर्व प्रधान मंत्री हैं किसी की एक साल बाद यह सुविधा खत्म होगी, तो किसी की दो साल बात खत्म होगी। इसलिए पांच साल से दस साल किया गया था, लेकिन हमने १० साल से १५ साल या २० साल नहीं किया। पहली बार कानून में थ्रेट-परसैप्शन की बात लाई गयी है कि वह इतना हो जिसमें एसपीजी जैसा कवर जरूरी हो। कवर तो एनएसजी भी दिया जा सकता है। जैसा मणिशंकर जी ने बताया कि एक स्टेज पर सुझाव दिया गया कि राजीव जी को एसपीजी कवर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता है, तो उन्हें एनएसजी दे दीजिए।

">

">NSG is the second elitist Group prepared for security.

">हमने यह न करते हुए वह बात लाए जिस पर सब सहमत हैं। जब किसी को सुरक्षा दी जाती है तो

">

">It should not be merely to enhance the status.

">यह लगातार की जाती है। मैंने जब से यह कार्यभार संभाला है तब से मैं आग्रह करता रहा हूं कि मेरे यहां से एनएसजी विदड्रा करो। इसका एक कारण मैं और मानता हूं जैसा कि और लोगों ने भी जिक्र किया। बनातवाला जी ने कहा कि यह डिस्क्रीट होनी चाहिए और अन-ऑब्सट्रसिव होनी चाहिए।

">

">मैं इजराइल गया हूं, जहां आतंकवाद से लोगों को वास्तविक खतरा है। वहां मुझे इतनी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती जितनी कि भारत में दिखाई देती है। वहां भी गार्ड होंगे, लेकिन वे दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए यहां हमें एनएसजी के बारे में यह तय करना होगा कि जो वीआईपी की सुरक्षा पर जायेंगे तो ड्रैस नहीं पहनेंगे। मेरा स्वयं का अनुभव है। जब मैं दौरे पर जाता था तो सामान्यतः लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन अगर रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी रुक जाए तो रुकते ही कमांडोज कार को घेर लेते थे, जिससे अगर किसी को पता भी न हो कि कौन जा रहा है वह भी पूछता था कि कौन है, इतने सारे ब्लैक-कमांडोज क्यों खड़े हैं? जब भी एनएसजी के अधिकारियों से बात होती है तो मैं यही कहता हूं कि आप कमांडोज को इतना कॉस्पिक्यूस क्यों बनाते हो। उनको सामान्य ड्रैस दो, जिससे उनको इस प्रकार की ड्रिल न करनी पड़े और सबका ध्यान उनकी ओर न जाए।

">

">पहले बम न फेंकना हो लेकिन अब फेंक दे। ब्लैक कैट कमांडो की ड्रेस अलग है इसलिए वे स्टेटस सिम्बल बन गए हैं। धीरे-धीरे हरेक स्टेट ने अपने कमांडो तैयार किए हैं। उनको कोई ब्लैक सरपैंट कहता है, कोई कुछ और कहता है। वह ड्रैस लगभग मिलती-जुलती होती हैं। इस पर इनको आपत्ति है कि स्टेटस वाले क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग का वह स्टैंडर्ड नहीं है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि अगर एन.एस.जी. विदड्रा होती है तो मेरे यहां से विदड्रा होगी। किसी के बारे में पॉलिटिकल कनसैप्शन होना ही नहीं चाहिए। मुझे पिछले डेढ़-दो साल में इस बात का अनुभव हुआ है और अच्छा लगता है जब कोई आकर कहता है कि मेरे ऊपर यह संकट है इसलिए सिक्योरिटी चाहिए। मैं उनको कहता हूं कि मैं प्रदेश सरकार को कह दूंगा। वह तुरन्त कहते हैं कि प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है, आप व्यवस्था करिए। तब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि केन्द्र सरकार की इस मामले में सीमाएं और मर्यादाएं हैं, हम अधिक से अधिक उनको कह सकते हैं। जैसा रावले जी ने अभी कहा कि राज्य सभा में जब बहस हुई तो कहा गया कि बाला साहेब ठाकरे जो शिव सेना के प्रमुख हैं, उनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है। मैंने राज्य सरकार से पूछा। महाराष्ट्र सरकार ने लिख कर भेजा है कि -

">

">"There is no move to downgrade the security of Shri Balasaheb Thackeray."

">अगर राजनीतिक कारणों से सिक्योरिटी के मामले पर विचार करेंगे तो चाहे केन्द्र या राज्य की सरकार होगी, वह अपनी विश्वसनीयता घटाएगी। सिक्योरिटी ऐसा मामला है जिस पर दो मत राजनीतिक आधार पर नहीं हो सकते हैं। सोनिया जी का सवाल आया। हमारे चाहे दूसरे मतभेद होंगे लेकिन हमने अपनी इंटैलिजिएंस से पूछा कि सिक्योरिटी थ्रैट का क्या एप्रेजल है? उन्होंने कहा कि इतना ही ग्रेव है जिस के आधार पर एस.पी.जी. कवर का कंटिन्यू करना उचित होगा।

">

">कई लोगों ने सार्वजिक रूप से कहा कि हमें एस.पी.जी. की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पिछले बिल में प्रावीजन है कि यदि कोई पूर्व प्रधान मंत्री यह मांग करे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो वह विदड्रा की जाएगी। प्रधान मंत्री नहीं कर सकता है। जो प्रधान मंत्री है, उसको कानूनन सिक्योरिटी देनी होगी और स्वीकार करनी होगी लेकिन जो पूर्व प्रधान मंत्री है, वह अगर किसी समय कहे कि एस.पी.जी. की सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो हमें विदड्रा करने में कोई दिक्कत नही है। एक पूर्व प्रधान मंत्री ने हमें लिख कर दिया तो हमने विदड्रा किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपनी सिक्योरिटी विदड्रा करने के बारे में हमें लिख कर दिया। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहा और वह सिक्योरिटी उनके कहने पर विदड्रा कर ली। एक और पूर्व प्रधान मंत्री ने सिक्योरिटी विदड्रा करने के लिए लिखा था, वह विदड्रा की गई। उन्होंने बाद में कहा कि फिर चाहिए। वह फिर से दी गई।

">... (व्यवधान)

">यह कानूनन मेरी डयूटी है। मुझे उसमें थ्रैट परसैप्शन का अन्दाजा करना होगा तो दस साल बाद करूंगा। आज भारत सरकार की स्टैटयूटरी रिस्पौंसिबिल्टी है कि जो पूर्व प्रधान मंत्री और उसके परिवार के सदस्यों को सिक्योरिटी देना कानून के अनुसार केन्द्र सरकार का दायित्व है। हम उसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे।">

">कई लोगों ने नाम लेकर बातें कहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एन.एस.जी. का ब्लैंक विदड्रॉल नहीं होगा। अगर होना होगा तो सबसे पहले मेरे से शुरु होगा। इसमें राजनीतिक कल्पना का कोई सवाल नहीं है। अलबत्ता एक अपवाद छोड़ कर सभी लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी के आधार या माध्यम से मकान प्राप्त करने की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसमें एक ही अपवाद मुझे दिखाई दिया। बनातवाला जी ने कहा कि कभी सिक्योरिटी के नाम पर एकॉमंडेशन देना पड़े, मुझे स्वयं को नहीं लगता कि आज से दो-तीन साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

">

">आज व्यक्तिगत रूप से इसके कारण सिक्यूरिटी मुझे मिलनी चाहिए, जेड प्लस होनी चाहिए और ज़ेड प्लस होगी तो मुझे मकान मिल जाएगा नहीं तो मकान कैसे मिलेगा, मैं तो एम.पी. या मंत्री भी नहीं हूं, दिल्ली में कैसे रहूंगा। मुझे इसका इतना अनुभव हुआ है कि जिसके कारण मुझे लगता है कि इस मामले में विवेक करना मेरे लिए असंभव है कि अमुक को मकान मिलना चाहिए और अमुक को नहीं मिलना चाहिए। यह तब होगा जब ब्लैंक निर्णय सरकार का होगा कि सिक्यूरिटी के नाम पर किसी को ऐकोमोडेशन नहीं मिलेगी। तब इसका पालन किया जा सकेगा, अन्यथा दिल्ली में मकान प्राप्त होना बहुत बड़ा लाभ है। अगर कोई सरकार इसमें विवेक के आधार पर निर्णय करेगी तो सब सोचेंगे कि यह तो इनका चहेता है।

">

">SHRI MANI SHANKAR AIYAR : I would just like to seek one clarification. Does these remarks apply to the SPG as well? Because, in the instant case, Shrimati Priyanka Gandhi Vadra wished to stay in her own personal house and it was the SPG which refused to give her permission to stay in her own house and insisted that she must stay in Government accommodation to be able to provide SPG security. So, I would just seek the clarification whether your remarks apply also to the SPG category.

">SHRI L.K. ADVANI: I have not applied my mind to the SPG beneficiaries. But, basically what I am saying apply to the political activists in general. So, it is in that context, I am saying so.

">श्री जी.एम.बनातवाला : कितने लोगों को ऐसे मकान दिये गए हैं, क्या कुछ अंदाज़ा है?

">

">श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बहुत ज्यादा नहीं हैं। एन.एस.जी. के भी बहुत नहीं हैं। हजारों हैं ऐसा नहीं है। सिक्यूरिटी बहुत दी हुई है। मैंने जो कल फिगर दी थीं, वह केवल दिल्ली की थीं। मैं जानता हूं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें प्रायः सभी एम.एल.एज़ के साथ शैडो होगी, कोई न कोई सिक्यूरिटी प्राप्त होगी। पूरे के पूरे आंकड़े इकट्ठे किये जाएँ तो बड़ी संख्या होती है लेकिन दिल्ली में जो लोग रहते हैं, और जो प्रोवाइड किया गया है, उनका मैंने कल ज़िक्र किया था और वह कोई अच्छी बात नहीं है।

">

">मुझे आंकड़े दिये गए हैं। ऐसे मकान जो दिल्ली में सिक्यूरिटी के कारण दिये गए हैं, वह १५ हैं और सब के सब बड़े बंगले हैं। एन.एस.जी. के जो बैनिफिशियरीज़ हैं वह कुल मिलाकर १९ हैं।

">

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सबको एक जगह फ्लैटस बनाकर रख देने से ठीक है। उससे हमारी पब्लिक की सिक्यूरिटी प्राबलम नहीं होगी।

... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे किसी ने यह पूछा कि इसमें ठ

or"

गलती से लगा है क्या?

"There shall be an armed force of the Union called the Special Protection Group for providing proximate security to (1) the Prime Minister and the members of his immediate family and (2) Any former Prime Minister or to the members of his immediate family."

वह

or

गलती से नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पहले केस में प्राइम मिनिस्टर को है और इसलिए ठ

and"

है, लेकिन पूर्व प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वह नहीं हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एंड द मेम्बर्स औफ हिज़ इमीडियेट फैमिली होंगे। इस केस में इसीलिए

or

लिखा है।

There is no error in this.

SHRI VIJAY GOEL : Was it there in 1991 also?

SHRI L.K. ADVANI: It is true.

राजीव जी की डेथ के बाद यह बना। जो अमेण्डमेंट आया फोर्मर प्राइम मिनिस्टर और टु द मैम्बर्स औफ हिज़ इमीडियेट फैमिली बाद में आया। पहला तो पूर्व प्रधान मंत्री राजीव जी के लिए नहीं था।

सभापति जी, बहस में प्रमुख रूप से जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन सबका उत्तर देने की मैंने कोशिश की है।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): I fully appreciate your stand. While considering this question, as a Member of the House Committee, we are facing a problem about the Punjab MPs. They are not ineligible for accommodation. As Members of Parliament, they are entitled to get Government accommodation. As Members belonging to Punjab, they have got four or five security personnel with them. As a first-time MP, they are entitled for two-room flats. They are giving one room to their security personnel and in other room they are staying with their family. So, it has become very difficult for them to stay in one room with their families. While considering such cases, you should not give blanket order. Discretion should be applied and better accommodation should be provided to those Members in whose case it is necessary to give security.

SHRI L.K. ADVANI: So far as Members are concerned, the jurisdiction vests with the Speaker or the Presiding Officer of the other House. Whatever they direct me to do, I shall have to do. I am talking about the requests that come to me from the people who are not entitled to any accommodation as MPs but who on the grounds of security think that they must be given a house. Till now the Government has approved houses being allotted to freedom fighters of certain categories, but that too goes to the Accommodation Committee of the Cabinet and then it is passed. In cases of this type, on grounds of security if accommodation is being given, it becomes a serious problem to deal with the problem of VIP security as such objectively and correctly.

I once again thank the House for the unanimous support given to this Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill further to amend the Special Protection Group Act, 1988, as amended by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI L.K. ADVANI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.